निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख 1945 (श0)

(सं0 पटना 411) पटना, बुधवार, 17 मई 2023

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
17 मई 2023

एस० ओ० 129 दिनांक 17 मई 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4 दिनांक 02 जनवरी, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 10, दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के छठे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाही के लिए या 2019-20 से 2021-2022 तक वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो गए हैं किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम अधित्यजित हो जाएगी, जो 250 रुपये के आधिक्य में है और पूरी तरह अधित्यजित हो जाएगी जहां उक्त विवरणी में देय राज्य कर की कुल रकम शून्य है।"।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12)1579)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 मई 2023

एस० ओ० 129 दिनांक 17 मई 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12)1579)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 17th May 2023

S.O. 129 Date 17 May 2023—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 4, dated the 02th January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 10, dated the 02th January, 2018, namely:-

In the said notification, after the sixth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of state tax payable in the said return is nil, for the registered persons who fail to furnish the return in **FORM GSTR-4** for the quarters from July, 2017 to March 2019 or for the Financial years from 2019-20 to 2021-22 by the due date but furnish the said return between the period from the1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023.".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1579)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 411-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in